

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100589

दिनांक: 19/03/2026

लोक सूचना

श्री BABU LAL CHOUDHARY पुत्र श्री RAMCHANDRA JAT जाति JAT निवासी VILL-
AJAYRAJPURA, AJAIRAJPUA, JAIPUR, RAJASTHAN-303007

श्री VIKASH CHOUDHARY पुत्र श्री RAMESWAR जाति JAT निवासी VILL- AJAIRAJPUA, JAIPUR,
RAJASTHAN

श्री RAMRAJ CHOUDHARY पुत्र श्री RAMESWAR CHOUDHARY जाति JAT निवासी VILL-
AJAIRAJPUA, JAIPUR, RAJASTHAN

श्री RAMCHANDER पुत्र श्री MAHADEV जाति JAT निवासी VILL-
CHOUKHAWALA, AJAIRAJPUA, JAIPUR, RAJASTHAN

श्री RAMKARAN पुत्र श्री KISHAN BALAI जाति BALAI निवासी 1440'SANJAY NAGAR, D.C.M. AJMER
ROAD JAIPUR

श्री HANUMAN पुत्र श्री SHRIKISHAN जाति BALAI निवासी AJAIRAJPUA, AJAYRAJPURA, JAIPUR
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति
अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	अजयराजपुरा, साँगानेर (जयपुर)	1.) रामचन्द पुत्र महादेव हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार	688	0.03	0.03
2.	अजयराजपुरा, साँगानेर (जयपुर)	1.) रामचन्द पुत्र महादेव हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार	704	0.07	0.07
3.	अजयराजपुरा, साँगानेर (जयपुर)	1.) बाबूलाल पुत्र रामचन्दर हिस्सा 1 / 2 जाति जाट सा. देह खातेदार 2.) रामराज चौधरी पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1 / 4 जाति जाट सा. देह खातेदार 3.) विकास चौधरी पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1 / 4 जाति जाट सा. देह खातेदार	645	0.69	0.69

4.	अजयराजपुरा, साँगानेर (जयपुर)	1.) रामचन्द पुत्र महादेव हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार	703	0.12	0.12
5.	अजयराजपुरा, साँगानेर (जयपुर)	1.) हनुमान पुत्र श्रीकिशन हिस्सा पूर्ण जाति बलाई सा. देह खातेदार	1188/646	0.2771	0.065
6.	अजयराजपुरा, साँगानेर (जयपुर)	1.) रामकरण पुत्र श्रीकिशन हिस्सा पूर्ण जाति बलाई सा. देह खातेदार	1190/646	0.244	0.244
7.	अजयराजपुरा, साँगानेर (जयपुर)	1.) रामकरण पुत्र श्रीकिशन हिस्सा पूर्ण जाति बलाई सा. देह खातेदार	1194/648	0.101	0.101
कुल					1.32

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**।" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **19-03-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
RAJASTHAN PATRIKA & PUNJAB KESARI

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

